

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8591 नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 4, 2012/वैशाख 14, 1934

859] No.

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 4, 2012/VAISAKHA 14, 1934

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2012

का.आ. 1022(अ).— केंद्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :--

- उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में,-2.
- (i) पैरा 1ख के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"1ख. स्कीम के केन्द्र बिन्दु निम्नलिखित संकर्मों पर होगा और उसकी पूर्विकता क्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा और वार्ड सभा के अधिवेशनों में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :--

- (i) जल संरक्षण और जल शस्य संचय, जिसके अंतर्गत कन्ट्रर खाइयां, कन्ट्रर बंध, गोलश्म चेक, गबियन संरचनाएं, भूमिगत नहरं, मिट्टी के बांध, स्टॉप बांध और झरनों का विकास भी हैं ;
- (ii) सूखारोधी, जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण भी है ;
- (iii) सिंचाई नहरें, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी हैं ;
- (iv) पैरा 1ग में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों के स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधा, फार्म पर खोदा गया पोखर, बागवानी, वृक्षारोपण, मेढ़बंधन और भूमि विकास का उपबंध ;

- (v) पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण, जिसके अंतर्गत तालाबों का शुद्धिकरण भी है ;
- (vi) भूमि विकास ;
- (vii) जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण नालियों को गहरा करना और उनकी मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए विप्लव जल नालियों का संनिर्माण ;
- (viii) सभी मौसमों में पहुंच को उपलब्ध करने के लिए ग्रामीण संयोजकता, जिसके अंतर्गत गांव के भीतर, जहां कहीं आवश्ययक हो, पुलिया और सड़कें भी हैं;
- (ix) ब्लाक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण ;
- (x) एनएडीईपी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, लिक्विड बायो-मेन्योर जैसे कृषि संबंधी संकर्म ;
- (xi) कुक्कुट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक जैसे पशुधन संबंधी संकर्म ;
- (xii) सार्वजनिक भूमि पर मौंसमी जल निकायों में मत्स्य पालन जैसे मत्स्य सबंधी सकर्म ;
- (xiii) तटीय क्षेत्रों में मछली शुष्कन यार्ड, बेल्ट वेज़िटेशन जैसे संकर्म ;
- (xiv) सोक पिट्स, रिचार्ज पिट्स जैसे ग्रामीण पेयजल संबंधी संकर्म ;
- (xv) व्यक्तिगत घरेलू पखाने, विद्यालय शौचालय इकाइयां, आंगनबाड़ी शौचालय , ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ग्रामीण स्वच्छता संबंधी संकर्म ;
- (xvi) ऐसा कोई अन्य कार्य, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, अधिसूचित किया जाए।";
- (ii) पैरा 1ख के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"1ग. पैरा 1ख की मद (iv), मद (x), मद (xi) और मद (xiii) से मद (xv) में उल्लिखित सभी क्रियाकलाप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गृहस्थों या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों की या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथा परिभाषित छोटे या सीमांत कृषकों की या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन हिताधिकारियों के स्वामित्वाधीन भूमि या गृह संपदा पर अनुज्ञात किए जाएंगे।

1घ. पैरा 1ख की मद (iv), मद (x), मद (xi) और मद (xiii) से मद (xv) में निर्दिष्ट संकर्मों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात् :—

- (क) पैरा 1ग में निर्दिष्ट गृहस्थियों के पास जॉब कार्ड होगा ; और
- (ख) हिताधिकारी, उनकी भूमि या गृह संपदा पर की जाने वाली परियोजना पर कार्य करेंगे ।
- (iii) पैरा 3 के उपपैरा (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--
 - "(घ) प्रत्येक मस्टर रोल की विशिष्ट पहचान संख्या होगी और उसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा उसुमें ऐसी अनिवार्य जानकारी अंतर्विष्ट होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए ।";

- (iv) पैरा 4 का लोप किया जाएगा ;
- (v) पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"5. राज्य सरकार, स्कीम के भाग के रूप में, स्कीम के अधीन सृजित लोक आस्तियों के उचित रखरखाव की व्यवस्था करेगी।";

- (vi) पैरा 6 का लोप किया जाएगा;
- (vii) पैरा 7 में, "जब मजदूरी का कार्य की मात्रा से सीधा संबंध हो तब मजदूरी, राज्य परिषद् के परामर्श से प्रतिवर्ष, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत दर अनुसूची के अनुसार संदत्त की जाएगी ।" शब्दों के स्थान पर, "राज्य सरकार मजदूरी को कार्य की मात्रा से संबद्ध करेगी और राज्य परिषद् के परामर्श से प्रतिवर्ष, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत दर अनुसूची के अनुसार संदत्त की जाएगी ।" शब्द रखे जाएंगे ;
- (viii) पैरा 8 के उपपैरा (1) में, "नौ घंटे" शब्दों के पूर्व, "विश्राम के एक घंटे सहित", शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे ;
- (ix) पैरा 9 में, "कुल परियोजना लागत" शब्दों के पूर्व, "प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर", शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे ;
- (x) "भारत सरकार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "केंद्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।
- 3. उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में,-
- (i) पैरा 2 के उपपैरा (1) की मद (x) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— "(xi) आधार संख्या, यदि जारी की गई हो,";
- (ii) पैरा 14 में, "ऐसी त्रिज्या" शब्दों के स्थान पर, "पैरा 12 में विनिर्दिष्ट त्रिज्या" शब्द रखे जाएंगे ;
- (iii) पैरा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--
 - "15. नियोजन की अवधि कम से कम लगातार चौदह दिन की और एक सप्ताह में छह दिन से अनिधक की होगी।";
- (iv) पैरा 31 में, "मजदूरी का भुगतान" शब्दों के पश्चात् ", यदि इस प्रकार छूट न दी गई हो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. जे-11013/1/2011-एमजीएनआरईजीए-1(भाग 7)] डी. के. जैन, संयुक्त सचिव टिप्पण 1 : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची 1 को पहले अधिसूचना सं0 का0आ0 323(अ), तारीख 6 मार्च, 2007 द्वारा संशोधित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं0 द्वारा संशोधित किया गया :

- 1. का०आ० 88(अ), तारीख 14 जनवरी, 2008
- 2. का०आ० 1489(अ), तारीख 18 जून, 2008
- 3. का०आ० ३०००(अ), तारीख ३१ दिसंबर, २००८
- का०आ० 1824(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009
- 5. का0आ0 1860(अ), तारीख 30 जुलाई, 2010
- 6. का०आ० 1484(अ), तारीख 30 जून, 2011
- 7. का०आ० २२०२(अ), तारीख २२ सितंबर, २०11

टिप्पण 2: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची 2 को पहले अधिसूचना सं0 का0आ0 324 (अ), तारीख 6 मार्च, 2007 द्वारा संशोधित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं0 द्वारा संशोधित किया गया :

- 1. का०आ० ८०२ (अ), तारीख २ अप्रैल, २००८
- 2. का0आ0 2188(अ), तारीख 11 सितंबर, 2008
- 3. का०आ० २९९९(अ), तारीख ३१ दिसंबर, २००८
- 4. का०आ० 513(अ), तारीख 19 फरवरी, 2009
- 5. का०आ० 2266(अ), तारीख ३० सितंबर, 2011

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2012

S.O. 1022(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) (herein referred to as the said Act), the Central Government on being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following further amendments to Schedule I and Schedule II to the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

2. In the said Act, in SCHEDULE I, -

- (i) for paragraph 1B, the following paragraph shall be substituted, namely:-
 - "1B. The focus of the Scheme shall be on the following works and the order of priority shall be determined by each Gram Panchayat in meetings of the Gram Sabha and the Ward Sabha, namely:-
 - (i) water conservation and water harvesting including contour trenches, contour bunds, boulder checks, gabion structures, underground dykes, earthen dams, stop dams and springshed development;
 - (ii) drought proofing including afforestation and tree plantation;
 - (iii) irrigation canals including micro and minor irrigation works;
 - (iv) provision of irrigation facility, dug out farm pond, horticulture, plantation, farm bunding and land development on land owned by households specified in paragraph 1C;
 - (v) renovation of traditional water bodies including desilting of tanks;
 - (vi) land development;
 - (vii) flood control and protection works including drainage in water logged areas including deepening and repairing of flood channels, chaur renovation, construction of storm water drains for coastal protection;
 - (viii) rural connectivity to provide all weather access, including culverts and roads within a village, wherever necessary;

16334112-2

- (ix) construction of Bharat Nirman Rajiv Gandhi Sewa Kendra as Knowledge Resource Centre at the Block level and as Gram Panchayat Bhawan at the Gram Panchayat level;
- (x) agriculture related works, such as, NADEP composting, vermi-composting, liquid bio-manures;
- (xi) livestock related works, such as, poultry shelter, goat shelter, construction of pucca floor, urine tank and fodder trough for cattle, azolla as cattle-feed supplement;
- (xii) fisheries related works, such as, fisheries in seasonal water bodies on public land;
- (xiii) works in coastal areas, such as, fish drying yards, belt vegetation;
- (xiv) rural drinking water related works, such as, soak pits, recharge pits;
- (xv) rural sanitation related works, such as, individual household latrines, school toilet units, anganwadi toilets, solid and liquid waste management;
- (xvi) any other work which may be notified by the Central Government in consultation with the State Government.";
- (ii) after paragraph 1B, the following paragraphs shall be inserted, namely:-
 - "1C. All activities mentioned in items (iv), (x), (xi) and items (xiii) to (xv) of paragraph 1B shall be allowed on land or homestead owned by households belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes or below poverty line families or the beneficiaries of land reforms or the beneficiaries under the Indira Awas Yojana of the Government of India or that of the small or marginal farmers as defined in the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008, or the beneficiaries under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007).
 - 1D. The works referred to in items (iv), (x), (xi) and items (xiii) to (xv) of paragraph 1B shall be taken up subject to the following conditions, namely:-
 - (a) the households referred to in paragraph 1C shall have the job card; and
 - (b) the beneficiaries shall work on the project undertaken on their land or homestead.";

- (iii) in paragraph 3, for sub-paragraph (d), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
 - "(d) Each muster roll shall have a unique identity number and be certified by the Programme Officer and shall contain such mandatory information as may be specified by order, by the Central Government.";
- (iv) paragraph 4 shall be omitted;
- (v) for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:"5. As part of the Scheme, the State Government shall provide for proper maintenance of the public assets created under the Scheme.";
- (vi) paragraph 6 shall be omitted;
- (vii) in paragraph 7, for the words, "when wages are directly linked with the quantity of work, the wages shall be paid", the words, "The State Government shall link the wages with the quantity of work and it shall be paid" shall be substituted;
- (viii) in paragraph 8, in sub-paragraph (1), after the words "for nine hours", the words "including an hour of rest" shall be inserted;
- (ix) in paragraph 9, after the words "project costs", the words "at the level of each Gram Panchayat" shall be inserted;
- (x) for the words "Government of India", wherever they occur, the words "Central Government" shall be substituted.
- 3. In the said Act, in SCHEDULE II,-
 - (i) in paragraph 2, in sub-paragraph (1), after item (x), the following item shall be inserted, namely:-
 - "(xi) Aadhaar number, if issued.";
 - (ii) in paragraph 14, for the words "such radius", the words "the radius specified in paragraph 12" shall be substituted;
 - (iii) for paragraph 15, the following paragraph shall be substituted, namely:"15. A period of employment shall be at least continuous fourteen days with not more than six days in a week.";
 - (iv) in paragraph 31, after the word "shall", the words "unless so exempted" shall be inserted.

[F. No. J-11013/1/2011-MGNREGA-I (Pt. VII)]
D. K. JAIN, Jt. Secy.

- Note 1: Schedule I of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) was first amended vide number S.O. 323(E), dated the 6th March, 2007, and subsequently amended vide following notification numbers:
 - 1. S.O. 88(E), dated the 14th January, 2008
 - 2. S.O. 1489(E), dated the 18th June, 2008
 - 3. S.O. 3000(E), dated the 31st December, 2008
 - 4. S.O. 1824(E), dated the 22nd July, 2009
 - 5. S.O. 1860(E), dated the 30th July, 2010
 - 6. S.O. 1484(E), dated the 30th June, 2011
 - 7. S.O. 2202(E), dated the 22nd September, 2011
- Note 2: Schedule II of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) was first amended vide number S.O. 324(E), dated the 6th March, 2007, and subsequently amended vide following notification numbers:
 - 1. S.O. 802(E), dated the 2nd April, 2008
 - 2. S.O. 2188(E), dated the 11th September, 2008
 - 3. S.O. 2999(E), dated the 31st December, 2008
 - 4. S.O. 513(E), dated the 19th February, 2009
 - 5. S.O. 2266(E), dated the 30th September, 2011